हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेंन योजना अन्तर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन
समाहरणालय गोपालगंज
(हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेंन)
विज्ञापन संख्याः– 01/2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक– WCDC/2092/23 दिनांक–27.09.2023 के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन,गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

क0 स0	पद का नाम	पदो की संख्या तथा कोटी					कुल	आयु	मूल मानदेय
		SC	ST	EBC	BC	UR			
1	जेंडर स्पेशलिस्ट (Gender Specialist)	–	–	1	–	–	1	पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछडा वर्ग (पुरूष/महिला) 40 वर्ष	23,000.00
2	वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ (Specialist in Financial Literacy)	–	–	–	–	1	1	अनारक्षित वर्ग(पुरूष) 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	21,000.00
3	लेखा सहायक (Accounts Assistant)	–	–	–	–	1	1	अनारक्षित वर्ग(पुरूष) 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	16,000.00
4	डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)	–	–	–	–	1	1	अनारक्षित वर्ग(पुरूष) 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	13,500.00
5	एम.टी.एस (MTS)	–	–	–	–	1	1	अनारक्षित वर्ग(पुरूष) 37 वर्ष अनारक्षित वर्ग(महिला) 40 वर्ष	12,000.00
कुल		–	–	1	–	4	5		

नोटः– संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होगे । उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के अधीन होगा।

जिला हब फॉर एम्वारमेंट ऑफ वीमेंन (DHEW) अन्तर्गत रिक्त पदो पर नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी विवरणी, पात्रता, एवं ऑनलाइन आवेदन का लिंक जिला के वेबसाइट https://www.gopalganj.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के अधीन है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है। रिक्त पदो के विरूद्ध आवेदन दिनांकः–28.06.2024 से 15.07.2024 के अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।

15.6.24

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज

समाहरणालय गोपालगंज

जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन – जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW),गोपालगंज

विज्ञापन संख्याः–01/2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक– WCDC/2092/23 दिनांक–27.09. 2023 के आलोक में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन,गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

क्र० स०	पद का नाम	पद की संख्या तथा कोटि	आयु	योग्यता / अहर्ता	मूल मानदेय
1	जेंडर स्पेशलिस्ट (Gender Specialist)	1 EBC	कोटिवार अनुमान्य आयु के अनुसार	**शैक्षणिक योग्यता:** सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक विषयों समाजशास्त्र/ग्रामीण विकास/ग्रामीण प्रबंधन/ LSW / मनोविज्ञान / महिला अध्ययन में स्नातक **अनुभव :** जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी/गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	23,000.00
2	वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ (Specialist in Financial Literacy)	1 UR		**शैक्षणिक योग्यता :** अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर **अनुभव:** वित्तीय साक्षरता / वित्तीय समावेशन केंद्रित विषयों में सरकारी/ गैर–सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	21,000.00
3	लेखा सहायक (Accounts Assistant)	1 UR		**शैक्षणिक योग्यता:** वाणिज्य में स्नातक B.com. **अनुभव:** संबंधित क्षेत्र में सरकारी / गैर–सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	16,000.00
4	डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)	1 UR		**शैक्षणिक योग्यता :** कंप्यूटर/ आई.टी में डिप्लोमा सहित स्नातक **अनुभव:** डेटा प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज़ीकरण और वेब–आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी / गैर– सरकारी / आईटी आधारित संगठनों के साथ 3 साल का अनुभव	13,500.00
5	एम.टी.एस (MTS)	1 UR		किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	12,000.00

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होगे।
2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा ।
3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है।
4. उम्र सीमाः संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी।

अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	–	37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	–	40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	–	40 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	–	42 वर्ष

5. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
6. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी।
7. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होगें । उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के अधीन होगा।
8. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी ।
9. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
10. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. सरकारी अर्ध–सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा ।
12. चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना सम्बंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के वेबसाइट https://www.gopalganj.nic.in पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
13. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के अधीन है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
15. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन आवेदन कि तिथि :–28.06.2024 से 15.07.2024 अपराह्न 05 बजे शाम तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित लिंक **https://www.gopalganj.nic.in वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।** जिसमे शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र/अंक पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा । उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे । किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16. एक से अधिक पदों के लिए अलग– अलग आवेदन मान्य होंगे।
17. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे ।
18. **अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित लिंक एवं अन्य जानकारी के लिए घोषणाओं हेतु https://www.gopalganj.nic.in वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।**

14.6.24

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज

जिलों में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिशा- निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 वे वित आयोग की अवधि 2021 -22 से 2025-26 तक के लिए, 1 अप्रैल 2022 से समेकित छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन का संचालन किया जा रहा है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के तहत प्रावधानित कुल 7 पदों के विरुद्ध जिला में रिक्त पदों पर जिला स्तर से नियोजन किया जायेगा।

स्वीकृत श्रमबल अंतर्गत रिक्त पदों का नियोजन निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी :-

1. जिला स्तर पर नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे ।
2. हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति -

जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी -	अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग से सम्बंधित पदाधिकारी(जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) -	सदस्य
अल्पसंख्यक वर्ग से से सम्बंधित पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) -	सदस्य
महिला एवं बाल विकास निगम के प्रतिनिधि -	सदस्य
घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित संरक्षण पदाधिकारी	सदस्य
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी. एस) -	सदस्य सचिव

3. उम्र सीमा : संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी:

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	- 37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	- 40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	- 40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	- 42 वर्ष

4. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, सदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी ।
5. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
6. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
7. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है ।
8. मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका के अनुसार जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (DHEW) अंतर्गत कुल सात (7) पदों में सिर्फ जेंडर स्पेशलिस्ट के दो पद हैं, जबकि अन्य पद एकल पद है। ऐसी स्थिति में सिर्फ जेंडर स्पेशलिस्ट के पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लीयरेंस की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जिन कर्मियों का समायोजन हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के तहत किया गया है, उस पद को अनारक्षित श्रेणी में रखते हुए रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया की जाएगी ।
9. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है । इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के अधीन होगा।
10. नियोजन हेतु यथा संभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त हेतु NIC का या जिला में प्रावधानित व्यवस्था का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
11. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रमाणपत्र ही मान्य मानी जाएगी।
12. चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की, प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान है ।

13. **चयन हेतु निर्धारण प्रणाली :** सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल 100 अंक होंगे, जिसमे प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 60 अंक, कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 15 अंक एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 25 अंक होगा। पदवार मेधासूची का निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है:-

क्र० स०	योग्यता	शैक्षणिक में प्राप्त %	अंक की गणना	अंक
1	प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता	A	(A×60%)	60
2	प्रासंगिक कार्य अनुभव से अधिक प्रत्येक अतरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक देय होगी, जो अधिकतम 15 अंक होगी।	B	(B×15%)	15
3	साक्षात्कार	-	-	25
	कुल			100

14. आवेदनों में अभ्यर्थियों के प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के क्रमांक-1 (उपर से) से लेकर कम से कम 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग/साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित कार्यानुभव का मिलान/जांच उनके मूल प्रमाण पत्रों से करने के उपरांत कार्यानुभव के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। काउंसलिंग के उपरांत साक्षात्कार लिया जायेगा।
15. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
16. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी ।
17. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रमाणपत्र ही मान्य मानी जाएगी।
18. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है , तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
19. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
20. सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
21. मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभर्थी को प्राथमिक के आधार पर चयनित किया जाएगा । समान मेधा अंक एवं समान जन्म तिथि भी एक समान होने की स्थिति में लौटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जाएगा ।
22. स्वीकृत श्रमबल के विरुद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा, ताकि चयनित कर्मी द्वारा पद त्याग/ निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
23. जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन हेतु मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) के पद पर कर्मी का नियोजन स्वीकृत स्थानीय सेवा प्रदता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर लिया जा सकता है।
24. चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।
25. चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन के सेवा शर्तो के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकार -सह- नोडल पदाधिकारी , जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।

27/9/2023

प्रबंध निदेशक

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार
(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)
दारोगा राय पथ, रोड नं0– 02, आर॰ ब्लॉक, पटना– 800001
फोन– 0612– 2506078, support.wdc@bihar.gov.in, www.wdc.bih.nic.

सं.सं.–

पत्रांकः– WCDC/2092/23 दिनांकः– 27/09/2023

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

बिहार ।

विषय :- राज्य के सभी जिलों में मिशन शक्ति योजनान्तर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन योजना के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन करने के संबंध में।

प्रसंग :- निगम पत्रांक 2052/23, दिनांक 15/09/2023 एवं 2080/23, दिनांक 22/09/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिला में मिशन शक्ति अंतर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन का संचालन किया जा रहा है। योजना के बेहतर संचालन हेतु रिक्त पदों पर नियोजन प्रक्रिया अविलंब किया जाना आवश्यक है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के विभिन्न कोटि के पदों के मानदेय तथा रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवश्यक अहर्ता मार्गदर्शिका के साथ प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रावधानों के अनुरूप जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाई पूर्ण करने हेतु समय तालिका निम्नवत निर्धारित की गई है -

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित अंतिम तिथि
1	चयन समिति का गठन करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी. डी.एस) -सह- नोडल पदाधिकारी, DHEW, द्वारा उक्त जिला केहब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों की संख्या प्राप्त किया जाना।	30 सितम्बर 2023 तक
2	उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप रोस्टर तैयार करते हुए आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	6 अक्टूबर 2023 तक
4	जिलावार रिक्त पदों का विज्ञापन जिला स्तर से किया जाना।	12 अक्टूबर 2023 तक
6	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	27 अक्टूबर 2023 तक
7	प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर मेधा सूची तैयार किया जाना।	10 नवम्बर 2023 तक
8	मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए प्रत्येक रिक्त पदों के विरुद्ध मेधा सूची से उम्मीदवारों का साक्षात्कार हेतु चयन (साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा, पर न्यूनतम 1:5 अनुपात से कम न हो)	12 नवम्बर 2023 तक
9	आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करते हुए साक्षात्कार का आयोजन	24, 25, 27, 28 नवम्बर 2023 तक
11	रिक्त पदों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति पत्र निर्गत करना।	4 दिसम्बर 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों का योगदान प्राप्त करना।	14 दिसंबर 2023 तक

निर्धारित तिथि तक जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक :

1. DHEW के रिक्त पदों के नियोजन हेतु दिशा - निर्देश
2. DHEW के रिक्त पदों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रारूप एवं नियोजन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
3. DHEW के रिक्त पदों के नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

विश्वासभाजन

27/9/2023

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः– WCDC/2092/23 /पटना, दिनांकः– 27/09/2

प्रतिलिपि :–सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–कार्यपालक निदेशक/निदेशक/उपसचिव-सह-स्थापना प्रभारी /प्रशासी पदाधिकारी, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी जिला परियोजना प्रबंधक/प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक, म0 एवं बाल वि0नि0/जिला मिशन समन्वयक, मिशन शक्ति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/9/2023

प्रबंध निदेशक

जिलों में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिशा- निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 वे वित आयोग की अवधि 2021 -22 से 2025-26 तक के लिए, 1 अप्रैल 2022 से समेकित छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन का संचालन किया जा रहा है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के तहत प्रावधानित कुल 7 पदों के विरुद्ध जिला में रिक्त पदों पर जिला स्तर से नियोजन किया जायेगा।

स्वीकृत श्रमबल अंतर्गत रिक्त पदों का नियोजन निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी :-

1. जिला स्तर पर नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे ।
2. हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति -

जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी -	अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग से सम्बंधित पदाधिकारी(जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) -	सदस्य
अल्पसंख्यक वर्ग से से सम्बंधित पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) -	सदस्य
महिला एवं बाल विकास निगम के प्रतिनिधि -	सदस्य
घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित संरक्षण पदाधिकारी	सदस्य
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी. एस) -	सदस्य सचिव

3. उम्र सीमा : संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी:

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	- 37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	- 40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	- 40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	- 42 वर्ष

4. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, सदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी ।
5. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
6. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
7. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है ।
8. मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका के अनुसार जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (DHEW) अंतर्गत कुल सात (7) पदों में सिर्फ जेंडर स्पेशलिस्ट के दो पद हैं, जबकि अन्य पद एकल पद है। ऐसी स्थिति में सिर्फ जेंडर स्पेशलिस्ट के पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लीयरेंस की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जिन कर्मियों का समायोजन हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के तहत किया गया है, उस पद को अनारक्षित श्रेणी में रखते हुए रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया की जाएगी ।
9. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है । इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के अधीन होगा।
10. नियोजन हेतु यथा संभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त हेतु NIC का या जिला में प्रावधानित व्यवस्था का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
11. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रमाणपत्र ही मान्य मानी जाएगी।
12. चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की, प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान है ।

13. **चयन हेतु निर्धारण प्रणाली :** सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल 100 अंक होंगे, जिसमे प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 60 अंक, कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 15 अंक एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 25 अंक होगा। पदवार मेधासूची का निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है:-

क्र० स०	योग्यता	शैक्षणिक में प्राप्त %	अंक की गणना	अंक
1	प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता	A	(A×60%)	60
2	प्रासंगिक कार्य अनुभव से अधिक प्रत्येक अतरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक देय होगी, जो अधिकतम 15 अंक होगी।	B	(B×15%)	15
3	साक्षात्कार	-	-	25
	कुल			100

14. आवेदनों में अभ्यर्थियों के प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के क्रमांक-1 (उपर से) से लेकर कम से कम 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग/साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित कार्यानुभव का मिलान/जांच उनके मूल प्रमाण पत्रों से करने के उपरांत कार्यानुभव के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। काउंसलिंग के उपरांत साक्षात्कार लिया जायेगा।
15. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
16. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी ।
17. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रमाणपत्र ही मान्य मानी जाएगी।
18. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है , तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
19. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
20. सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
21. मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभर्थी को प्राथमिक के आधार पर चयनित किया जाएगा । समान मेधा अंक एवं समान जन्म तिथि भी एक समान होने की स्थिति में लौटरी व्यवस्था से निर्णय लिया जाएगा ।
22. स्वीकृत श्रमबल के विरुद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा, ताकि चयनित कर्मी द्वारा पद त्याग/ निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
23. जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन हेतु मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) के पद पर कर्मी का नियोजन स्वीकृत स्थानीय सेवा प्रदता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर लिया जा सकता है।
24. चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।
25. चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन के सेवा शर्तो के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकार -सह- नोडल पदाधिकारी , जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।

27/9/2023
प्रबंध निदेशक

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन योजना अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-

समहरणालय, (जिला का नाम)

(हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन)

विज्ञापन संख्या - (जिला द्वारा भरा जायेगा)

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक................ दिनांक................ के आलोक हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन, (जिला का नाम) के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:-

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या तथा कोटि	आयु	मूल मानदेय
1				
2				
3				
4				

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट________ से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक ________ को अपराह्ण 5:00 बजे तक ________ स्वीकार किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी
(जिला का नाम)

अनु
क

जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-

समहरणालय, (जिला का नाम)

जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (**DHEW**)

विज्ञापन संख्या - (जिला द्वारा भरा जायेगा)

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक................. दिनांक................. के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन, (जिला का नाम) के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:-

क्र० स०	पद का नाम	पद की संख्या तथा कोटि	आयु	योग्यता/ अहर्ता	मूल मानदेय
1	जिला मिशन समन्वयक			**शैक्षणिक योग्यता :** सामाजिक विज्ञान/ लाइफ साइंसेज / पोषण/ चिकित्सा/ स्वास्थ्य प्रबंधन/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर **अनुभव:** महिला विषयक मुद्दों एवं प्रशासनिक कार्यों में सरकारी / गैर-सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	40,000/-
2	जेंडर स्पेशलिस्ट			**शैक्षणिक योग्यता :** सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक विषयों- समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास/ ग्रामीण प्रबंधन/ LSW/ मनोविज्ञान/ महिला अध्ययन में स्नातक **अनुभव:** जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी / गैर-सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	23,000/-
3	वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ			**शैक्षणिक योग्यता :** अर्थशास्त्र/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर **अनुभव:** वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन केंद्रित विषयों में सरकारी/गैर-सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	21,000/-
4	लेखा सहायक			**शैक्षणिक योग्यता :** वाणिज्य में स्नातक- B.com. **अनुभव:** संबंधित क्षेत्र में सरकारी / गैर-सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव	16,000/-
5	डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)			**शैक्षणिक योग्यता :** कंप्यूटर/आईटी में स्नातक **अनुभव:** डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया दस्तावेज़ीकरण और वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी / गैर-सरकारी / आईटी आधारित संगठनों के साथ 3 साल का अनुभव	13,500/-

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है ।
4. उम्र सीमा : संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी:
   - अनारक्षित वर्ग (पुरूष) - 37 वर्ष
   - पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) - 40 वर्ष
   - अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
   - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) - 42 वर्ष
5. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, सदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।

6. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी।
7. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है । इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के अधीन होगा।
8. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी ।
9. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है , तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
10. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
12. चयन प्रक्रिया - निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना सम्बंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के................ वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
13. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हक़दार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, _______(जिला का नाम) के अधीन है। जिला पदाधिकारी,_________(जिला का नाम) विज्ञापन को संशोधित/ रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
15. इक्षुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक _________ तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/ अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए Email _______ पर समर्पित करेंगे। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16. एक से अधिक पदों के लिए अलग- अलग आवेदन मान्य होंगे।
17. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
18. अभ्यर्थी, विज्ञापन से सम्बंधित अपडेट अन्य घोषणाओ हेतु ....वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

जिला पदाधिकारी
जिला का नाम